

15/05/24

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप
अपीलान्ट नरुसिंह ने न्यायालय हाजा
में उपस्थित होकर वकील के माफत
अपील विद्रा का प्रार्थना पत्र पेश
किया जिस कारण पत्रावली आदिनां
को पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र

आवाज या कार्यवाही हाताभार सहित

के अनुसार दोनों पक्षों में राजीनामा
 हो चुका है। अपीलार्थीगण अपील में
 आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता
 है। अपीलार्थ के प्रार्थना पत्र को स्वीकार
 करते हुए अपील विद्वा के आदेश
 दिये जाते हैं। उक्त आदेश की प्रति
 के साथ अखीनस्थ न्यायालय का
 रिफाई वापस लौटाये। पत्रावली फँसल
 शुमार होकर नम्बर से कम होकर
 दाखिल दफ्तर हो।



कमाल व दिनांक पत्र जो इन आवाज
 के माध्यम से भेजा गया

रैस्पो. सं. 03 श्रीखसिंह 56
 प्रभूसिंह ने अन्य रैस्पोडेंटों
 की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
 कर उक्त अनवानी अपील को
 आगे नहीं चलाने में सहमति
 दी है। दोनों पक्षों के मध्य
 राजीनामा होने के कारण अपील
 विद्वा पर सहमति दी।

श्री खसिंह

नरसिंह

पेंडु श्री (5/10/15)